Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **अजमेर में थानाधिकारी, पुलिस थाना रूपनगढ़ अपने दलाल सहित 1 लाख 45 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *29 अक्टूबर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर इन्टेलिजेन्स यूनिट अजमेर द्वारा आज शुक्रवार को कार्यवाही करते हुये कंवरपाल सिंह उपनिरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी, पुलिस थाना रूपनगढ़, जिला अजमेर व उसके दलाल रोहित शर्मा (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से 1 लाख 45 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की इन्टेलिजेन्स यूनिट अजमेर को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरूद्ध दर्ज प्रकरण में कार्यवाही नहीं करने एवं मदद करने की एवज में कंवरपाल सिंह उपनिरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी, पुलिस थाना रूपनगढ़, जिला अजमेर द्वारा अपने दलाल रोहित शर्मा (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से 5 लाख रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी अजमेर के **पुलिस अधीक्षक श्री समीर कुमार सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज इन्टेलिजेन्स यूनिट अजमेर के **उप अधीक्षक पुलिस श्री पारसमल, पुलिस निरीक्षक श्री राकेश कुमार वर्मा** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये कंवरपाल सिंह पुत्र श्री खींवसिंह निवासी सेखोसर, पुलिस थाना फतेहपुर जिला हाल उपनिरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी, पुलिस थाना रूपनगढ़, जिला अजमेर एवं उसके दलाल रोहित शर्मा पुत्र श्री घनश्याम शर्मा निवासी 10, विनायक नगर–सी, किशनगढ़, पुलिस थाना मदनगंज, जिला अजमेर (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से 1 लाख 45 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।